राष्ट्रभाषा हिन्दी भारत के लिये गंगा है ।

संविधान के अधिनियम,नियम एवं समय–समय पर विभिन्न जारी कर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो की राजभाषा हिन्दी को बनाने का प्रयास जारी है । परिणामस्वरूप हिन्दीभाषी क्षेत्रों में ही नही अहिन्दी भाषी क्षेत्रो में भी हिन्दी की पहुंच बढी है परन्तु हमें कहने में तनिक संकोच नही होना चाहिये कि राजनीतिक गुलामी से मुक्त होकर भी भाषा की दृष्टि से गुलाम बने हुए है । देखना है हम इस गुलामी से कब मुक्त हो पाते है। दृढतापर्वक कहना कठिन हो गया है क्योंकि यह स्पष्ट नजर आने लगा है कि आर्थिक स्तर पर जितना विकास हो रहा है उतना ही हिन्दी ओर दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति मोह कम होता जा रहा है । अंग्रेजी के प्रति विशेष मोह उत्पन्न होने लगा है । अंग्रेजी को आधुनिकता, अहम् अभिजात्य होने की परिचायक माना जा रहा है । मै भाषा का विरोधी नही परन्तु जब कोई विदेशी–भाषा अपनेपन,अपने सद्संस्कारों और अपनी सद्सामाजिकता को छीनने लगे तब खतरे का द्योतक बन जाती है और ऐसे समय में सचेत हो जाना चाहिये क्योकि राष्ट्रभाषा हिन्दी भारत के लिये गंगा है ।

वर्तमान समय हिन्दी के लिये ही नही सभी भारतीय भाषाओ के लिये संकट का समय है । अंग्रेजीपन के आधुनिकता, अहम्, अभिजात्यपन की खोखली विचारधारा से ऐसे ग्रसित हो चुके है कि इससे उपजी कुरूपता नजर ही नही आ रही है । बिट्रिश शासन ने हमारे उपर अंग्रेजी लादकर मातृशक्ति से ही नही माटी के सोधेपन से भी अलग कर दिया है । आज अंग्रेजीपन की ही देन है कि हम अपने इतिहास, सभ्यता, संस्कार, नैतिकमूल्य, सद्भावना से इतने दूर जाचुके है कि स्वयं तक को पहचानने में असमर्थ हो गये है । सत्य कहा गया है कि किसी देश की सभ्याता सस्कृति को गुलाम बनाना है तो उसकी भाषा को नष्ट कर दिया जाये तो देश अपने आप मर जाता है यही हमारे देश के साथ हुआ और अंग्रेजो ने दो सौ साल तक राज किया । भूमण्डलीयकरण के वर्तमान दौर में भी प्रयास जारी है पर विश्वास है एक दिन जरूर आयेगा जब गंगा मां रूपी हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी दुनिया के माथे की बिदिया साबित होगी ।

विचारणीय बात ये है कि क्या इस देश के लोग बिट्रिश शासन के पूर्व भी अंग्रेजी में ही बोलते बतियाते पढते लिखते थे । इसका जबाब नही है क्योंकि हिन्दी का इतिहास बहुत पुराना है ग्यारहवी–बारहवी सदी में भी भारत में हिन्दी लिखी–पढी और बोली जाती थी । आदिलशाही,कुतुबशाही,इमामशाही और निजामशाही राज्यों में तो हिन्दी सह–राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी । अकबर के दरबार में रहीम खानखाना हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे,औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा हिन्दी में कविताये लिखती थी । शेरशाहसूरी से लेकर बाद के सिक्को पर फारसी के साथ हिन्दी का प्रयोग मिलता है । भारतीय राजाओ जैसे पेशवा,होल्कर सिन्धिया आदि सभी की राजभाषा हिन्दी थी वही राजभाषा हिन्दी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है अपनों के बीच । वही हिन्दी जो आजादी के आन्दोलन की भाषा है । इसी भाषा के अखिल भारतीय स्वरूप ने बिट्रिश शासन की जड़े उखाड़ फेंकी। हिन्दुस्तान की सभी भाषाये–भोजपुरी,तेलगु,कन्नड़,मराठी,मलयालम,बंगला,गुजराती,मालवी आदि अपने आपमें महान है ,इनका साहित्य संवृद्ध है । परन्तु दुर्भाग्यवस अंग्रेजी मोह के कारण हमारा ध्यान अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभूमि के गौरव पर नही टिकता जबकि हमारी हिन्दी भारतभूमि के लिये गंगा है ।

हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा है क्योंकि आजादी के प्रतीक तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता की द्योतक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रभाषा हिन्दी हमारी आजादी की पहचान है । न्दिी में अमरतव विद्यमान है जो परी दुनिया को प्रभावित कर सकता है । यही कारण है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ–साथ हिन्दी के प्रचार प्रसा का आन्दोलन भी प्रारमभ किये थे ।राष्ट्रभाषा देश की धमनियों में प्रवाहत होने वाली राष्ट्रीयता की जीवन्त रूधिर धारा है । इसके बिना पारस्परिक सर्म्प सम्भव नही है ।हिन्दी के प्रति अटट आस्था और विश्वास अभिव्यक्त करना देश भक्ति है । हिन्दी का संबंध संस्कृति और संस्कारो से है । राष्ट्रभाषा हिन्दी भारतीयता की प्रतीक है। हिन्दी राष्ट्र की वाणी को मुखरित करने वाली,सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाली,विश्वबन्धत्व की सद्भावना रखने वाली,मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिये संघर्ष करने वाली राष्ट्रभाषा हिन्दी भारत के जन–जन के अभिव्यक्ति की भाषा है । हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भारतीय अस्माता को बनाये रखने के लिये राष्ट्रभाषाहिन्दी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे । राष्ट्रभाषा से सम्बन्धी राष्ट्रीय अवधारणा को सार्थक बनाये रखने के लिये समस्त भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रभाषा की सम्वृद्धि और विकास के लिये आगे आये ताकि राष्ट्रीय एकता को और अधिक बल मिले क्योंकि राष्ट्रभाषा रूपी गंगा को विदेशी भाषा के अतिक्रमण से मुक्त करना है ।

देश की संसद ने राष्ट्रभाषा के बारे में निर्णय लिया है कि सभी राज्यों की आमसहमति के आधार पर राजभाषा के रूप लागू किया जायेगा । यह आमसहमति जितनी तेजी से बनेगी देश की राष्ट्रीय एकता और जनहित के लिये उतनी ही अधिक लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगी। आज समय की मांग है कि राष्ट्रभाषा के उत्थान के लिये हर भारतीय एकजुट हो क्योंकि हिन्दी भारत के लिये गंगा है और दुनिया के लिये विश्वबन्धुत्व का आह्वाहन।